

FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector
Mirzapur

No. 1415

Dated. 10-5-2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intimated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 6.5475 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Electricity Transmission Division, U.P. Power Transmission Corporation Limited Mirzapur for construction of 132KV Jigna-Dadarkala (Vijaypur) DC line for evacuation of generated power from 75 MW solar power project at Mirzapur district falls within jurisdiction of Vijaypur village in Sadar tehsil.

- It is further certified that: The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 6.5475 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-I to annexure-III.
- The proposal for such diversion (with full details of project and its implications in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gramsabha of forest dwellers who are eligible under the FRA.
- Each of the concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/process under the FRA has been carried out, and that they have given consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Vijaypur village (s) is enclosed as annexure 01.
- The discussion and decision on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram panchayat.
- The right of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- Primitive Tribal Groups and Pre-Agriculture Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as section 3(i) (e) of FRA.

Encl: As above.

मिरा समाज कल्याण अधिकारी
District Social Welfare Officer
Mirzapur

(Full name and official seal of the District Collector)

Signature
जिलाधिकारी
मीरजापुर

जिला स्तरीय समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक 04-5-17 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (District Level Committee) की बैठक आहूत की गयी है।

उक्त बैठक में निर्माणाधीन 75 मेगावाट सोलर पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत की निकासी हेतु उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) द्वारा निर्माणाधीन 132 के0वी0 जिंगना-दादरकला (विजयपुर) डी0सी0 लाइन के निर्माण हेतु वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु प्रयोग की जाने वाली 6.5475 हेक्टेयर वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम समिति विजयपुर की बैठक में लिए गए निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वनभूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव लंबित नहीं हैं, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

ग्राम विजयपुर तालिका-96

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि सदर तहसील अन्तर्गत 6.5475 हेक्टेयर वन भूमि उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) द्वारा 132 के0वी0 डबल सर्किट पावर लाइन के निर्माण में गैरवानिकी प्रयोग हेतु उपयोग किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)

जिला पंचायत सदस्य
जिला पंचायत
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)
मीरजापुर

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

जिला पंचायत सदस्य
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)
सदस्य
जिला पंचायत
मीरजापुर
3-11-211

जिलाधिकारी
मीरजापुर
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)
जिलाधिकारी
मीरजापुर

जिला पंचायत सदस्य
(नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)



उप जिलास्तरीय समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक 27.03.2017 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति (Sub Divisional Level Committee) की बैठक आहूत की गयी है।

उक्त बैठक में निर्माणाधीन 75 मेगावाट सोलर पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत की निकासी हेतु 30प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (30प्र0 सरकार का उपक्रम) द्वारा निर्माणाधीन 132 केवी0 जिग्ना-दादरकला (विजयपुर) डी0सी0 लाइन के निर्माण हेतु वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु प्रयोग की जाने वाली 6.5475 हेक्टेयर वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम समिति विजयपुर की बैठक में लिए गए निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वनभूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव लब्धित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

ग्राम विजयपुर तप्पा-96

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि सदर तहसील अन्तर्गत 6.5475 हेक्टेयर वन भूमि 30प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (30प्र0 सरकार का उपक्रम) द्वारा 132 केवी0 डबल सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण में गैरवानिकी प्रयोग हेतु उपयोग किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

23/3/17
सहायक सिक्योरिटी अधिकारी (सिक्योरिटी)
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)
छानवे, मीरजापुर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर उप वन प्रभाग
मीरजापुर

उप जिलाधिकारी
उप विभागाधिकारी वन
सदर, मीरजापुर
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

क्षेत्र पंचायत सदस्य
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)
क्षेत्र पंचायत सदस्य
कार्ड नं०-133
ग्राम-विजयपुर
खं० छानवे, मीरजापुर

क्षेत्र पंचायत सदस्य
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)
क्षेत्र पंचायत सदस्य
कार्ड नं०-135
ग्राम-विजयपुर
खं० छानवे, मीरजापुर

क्षेत्र पंचायत सदस्य
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)
क्षेत्र पंचायत सदस्य
कार्ड नं०-132
ग्राम-विजयपुर
खं० छानवे, मीरजापुर

कार्यालय
ग्राम सभा— विजयपुर
तहसील—सदर, जिला—मीरजापुर।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला मीरजापुर उत्तर प्रदेश के सदर तहसील अन्तर्गत निर्माणाधीन 75 मेगावाट सोलर पावर प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत की निकासी हेतु निर्माणाधीन 132 के०वी० जिगना-दादरकला (विजयपुर) डी०सी० लाइन के निर्माण में आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु ३०५० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा विजयपुर तल्पा-१६ के अन्तर्गत ग्राम विजयपुर तल्पा-१६ द्वारा ग्राम सभा बैठक में ३०५० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फारेस्ट राईट एक्ट (एफ०आर०ए० २००६) के तहत आवेदित वनभूमि आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

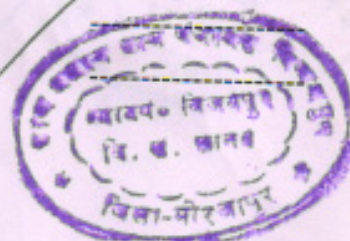
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम सभा के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि ३०५० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० द्वारा गैरवानिकी प्रयोग किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फारेस्ट राईट एक्ट (एफ०आर०ए० २००६) के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा आरक्षित वनभूमि को निर्माणाधीन 132 के०वी० जिगना-दादरकला (विजयपुर) डी०सी० लाइन के निर्माण में गैरवानिकी प्रयोग किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Village Development Officer वि. व. अधिकारी
Gram Panchayat— वि. व. अधिकारी
वि. व. अधिकारी

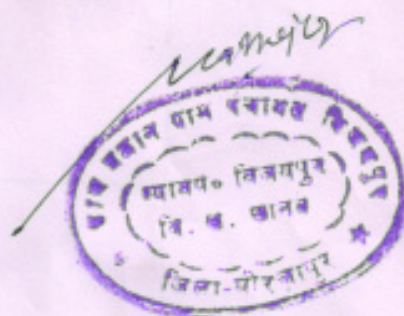
Gram Pradhan



ग्राम सभा 1 दिनांक

क्र०सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बाबू लाल	बाबू लाल
2	शिवचन्द	शिवचन्द
3	विजय कुमार	विजय कुमार
4	शिव मोहन	शिव मोहन
5	अध्वनाश	अध्वनाश
6	शेखरसुत प्रणी	शेखरसुत प्रणी
7	अनाम सुपु	अनाम सुपु
8	लाल मोहन	लाल मोहन
9	जीवी	जीवी
10	मो० अश्विनी	मो० अश्विनी
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		

आ. 2-3-17
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि० अ०-छानव मोरवापुर



कार्यालय ग्राम सभा- तहसील- सदर, जिला- मीरजापुर (उत्तर प्रदेश)
प्रस्ताव सत्य प्रतिलिपि

ग्राम सभा बैठक- २०-३-१७ दिनांक २०-३-१७

क्र०सं०	उपस्थित सदस्यों के नाम	प्रस्ताव क्रमांक एवं विषय	की गई कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव पारित / अपारित	हस्ताक्षर
	ग्राम सभा के कुल सदस्यगणों की संख्या १५ ग्राम सभा बैठक में उपस्थित सदस्यगणों की सं० ... एवं वरिष्ठ ग्रामवासी	प्रस्ताव क्रमांक- ०१ चर्चा का विषय- उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० द्वारा निर्माणधीन १३२ के०वी० जिगना-दादरकला (विजयपुर) डी०सी० लाइन के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि के समन्वय में फारेस्ट साईट एक्ट (एफ०आर०ए० २००६) के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य आदिवासी एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा है अथवा नहीं।	उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा की गई चर्चा के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त वन भूमि में अनुसूचित जनजाति, आदिवासी व गैर आदिवासी द्वारा कृषि कार्य, आवासीय एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा नहीं है एवं फारेस्ट साईट एक्ट (एफ०आर०ए० २००६) के अन्तर्गत निर्माणधीन १३२ के०वी० जिगना-दादरकला (विजयपुर) डी०सी० लाइन के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० द्वारा गैरयानिकी प्रयोग किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित।		<u>रमेश चंद्र</u> <u>वी० ए०</u> <u>अमरनाथ</u> <u>मुलाम सिन्हा</u> <u>लाला मोहन</u> <u>ब्रह्म प्रसन्न झा</u> <u>तसीर</u> <u>शिवचन्द्र</u> <u>शिव मोहन</u> <u>मो० आसिक</u>

२०-३-२०१७
ग्राम सभा बैठक- २०-३-१७
दिनांक २०-३-१७
जिला- मीरजापुर
तहसील- सदर